न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
102/2011	दावा 177 RTA	21.09.2011	29.03.2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू —वादी—

बनाम

1. पूनमदेवी पत्नी सत्यनारायण जाति जांगिड़ साकिन सिंधी धोरा बालाजी मन्दिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू
2. उप पंजीयक, चूरू —प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित — 1. पैरोकार राज उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र खत्री प्रतिवादी सं0 1

निर्णय

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम कस्बा चूरू के खेत खसरा नं. 2314/2148 तादादी 0.09 बीघा किस्म बारानी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं0 1 के खातेदार को, राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है। जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 खातेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि की मिट्टी का कटाव कर भूमि को अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु समतल कर दिया व भूमि पर आवासीय प्लॉटिंग कार्य करके भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 खातेदार ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पहुंचाई है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के कब्जे में उक्त भूमि को छोडा जाना उचित नहीं है क्योंकि खातेदार प्रतिवादी सं0 1 कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखली योग्य हो गये हैं।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा मद संख्या 03 व 04 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं प्रतिवादी सं0 1 उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गये हैं व बेदखली होने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गये हैं जिसके लिए माननीय न्यायालय को आर.टी. एक्ट की

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) में श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह है कि प्रतिवादी सं0 1 खातेदार द्वारा उक्त भूमि के आवासीय भूखण्डों (प्लॉटस) के विक्रय पत्र बिना भूमि का रूपान्तरण कराये बालाबाला प्रतिवादी सं0 2 के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाने की संभावना है इस कारण प्रतिवादी सं0 2 उप पंजीयक चूरू को पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि:–

1. ग्राम कस्बा चूरू की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 2314/2148 तादादी 0.09 बीघा को प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित की जावे।
2. प्रतिवादी सं0 1 को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावे।

वादी तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये परन्तु सही पते के अभाव में तलबी नहीं हो पाई। दिनांक 08.11.11 को पैरोकार राज को प्रतिवादी के सही पते के सम्मन पेश करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् असीमित समय तक पत्रावली तलबी में लम्बित रही। आखिर में दिनांक 18.11.15 को पैरोकार राज की ओर से निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 का सही पता मालूम नहीं होने से तलबी नहीं हो पा रही है। अतः जरिये अखबार तलबी के आदेश फरमाये जावें। अतः प्रतिवादी सं. 1 की तलबी जरिये अखबार करवाने के आदेश दिये गये। सम्मन दिनांक 02.12.2015 के अखबार में साया होने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री गजेन्द्र खत्री एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जिसको शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा बिना जवाब दिये सीधे ही बहस के लिए निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं बहस के तथ्यों पर विचार किया गया तथा वकील प्रार्थी द्वारा पेश एस.डी.ओ. चूरू द्वारा पूर्व में ऐसे प्रकरणों में दिये गये निर्णय, 2008 (2) RLW 1390, CCC 2000 145 एवं 2000 (1) CCC 225 न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्ति बिन्दुओं की प्रकृति विधिक है, जिनका निस्तारण बिना साक्ष्य, बहस किया जाना इस स्तर पर न्यायोचित नहीं होगा। आपत्ति योग्य बिन्दुओं को तनकी कायम कर निर्णित किया किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से इस प्रकरण की प्रकृति भिन्न मानकर वर्तमान में निर्णित करना उचित नहीं मानते हुए तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित बिन्दुओं को तनकी में शामिल करने स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली जवाबदावा में नियत की गई।

तत्पश्चात् वकील प्रतिवादी को जवाब हेतु असीमित अवसर व समय प्रदान किया गया। इस दौरान आवश्यक, अन्तिम अवसर एवं स्वतः बन्द की शर्त पर भी अवसर प्रदान किये गये परन्तु वकील प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वकील वादी प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित आते रहे। अन्ततः दिनांक 12.08.16 को जवाब असवर स्वतः बन्द माना गया एवं पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। पैरोकार राज ने पत्रावली पर पेश दस्तावेजों को ही साक्ष्यवादी माना जाने का निवेदन किया जिस पर दिनांक 12.01.17 को साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु वकील प्रतिवादी को काफी अवसर एवं समय प्रदान किया गया परन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। दिनांक 21.08.17 को स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर प्रदान किया गया परन्तु आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.10.17 को भी साक्ष्य प्रतिवादी अपस्थित नहीं हुआ। जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी स्वतः बन्द माना जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। बहस हेतु वकील प्रतिवादी को काफी अवसर प्रदान किये गये। दिनांक 15.03.2019 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नं. 2314/2148 तादादी 0.09 बीघा रोही कस्बा चूरू प्रतिवादी खातेदार को कृषि कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई थी परन्तु प्रतिवादी द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये तथा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा मौके पर भूमि को समतल करके पट्टियां लगाकर प्लॉटिंग कर दी है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया है तथा खातेदार को दिये गये खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 खातेदार बेदखली योग्य हो गया है तथा वादगत भूमि को प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गई है। प्रतिवादी द्वारा ना तो कोई जवाब पेश किया है तथा ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है जबकि हमने दावा के साथ कस्बा चूरू की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 खसरा नम्बर 2314/2148 एवं प्रमाणित नक्शा तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बा चूरू दिनांक 23.05.2011 पेश किये हैं जिनके आधार पर वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अकृषि कार्य किया जाना साबित होता है। अतः वादगत कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने बहस में जाहिर किया कि तहसीलदार, चूरू द्वारा विधि द्वारा स्थापित आज्ञापक प्रावधानों को अनदेखा कर बिना वाद हैतुक के यह प्रकरण पेश किया गया है। दावा दो प्रतियों में नहीं दिया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण बिना वाद हैतुक के कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया होने से खारिज किया जावे। उभयपक्ष की बहस के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 खसरा नम्बर 2314/2148 रोही कस्बा चूरू, नकल नक्शा ख0नं0 2314/2148 एवं रिपोर्ट पटवारी दिनांक 23.05.2011 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार उक्त वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी कस्बा चूरू दिनांक 23.05.2011 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर प्लॉटिंग कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है। दूसरी तरफ प्रतिवादी एवं उनके अभिभाषक ने न तो जवाबदावा पेश किया है एवं न ही कोई साक्ष्य पेश किया है, जिससे दावा वादी प्रमाणित प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को कृषि कार्यों हेतु दी जाकर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे। वादगत भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने उसको दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर प्लॉटिंग कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

स्वीकृति प्राप्त की है। जिससे वादगत कृषि भूमि को उसकी खातेदारी से हटाया जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादी अपने दावे को प्रमाणित करने में समर्थ रहा है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2314/2148 तादादी 0.09 बीघा रोही कस्बा चूरू से प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार चूरू को निर्देश दिये जाते हैं कि वादगत कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर सिवाय चक दर्ज किया जावे एवं कब्जा बहक सरकार लिया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : **सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू —वादी—

बनाम

1. पूनमदेवी पत्नी सत्यनारायण जाति जांगिड़ साकिन सिंधी धोरा बालाजी मन्दिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू
2. उप पंजीयक, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नं. 102 सन् 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी पैरोकार राज मिनजानिब मुदईब व श्री गजेन्द्र खत्री एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2314/2148 तादादी 0.09 बीघा रोही कस्बा चूरू से प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार चूरू को निर्देश दिये जाते हैं कि वादगत कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर सिवाय चक दर्ज किया जावे एवं कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29 माह मार्च सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू